न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /04/2025

1–होरीलाल ।
2–रमन । पिसरान बाबू
3–बच्चू ।
4–मोहनसिंह पुत्र बदले
5–देशराज ।
6–सहदेव । – पुत्रान पूरनसिंह
7–लोकेन्द्र ।

जाति जाट निवासी नगला जीवना मजरा सोगर तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1–भूपेन्द्र सिंह ।
2–वीरेन्द्र । – पुत्रान साहबसिह
3–अर्जुन ।
4–भगतसिंह ।
5–गंगादेवी पत्नि साहबसिंह
6–राजेन्द्र पुत्र रामसरन
7–अंगूरी पत्नी नाहरसिह
8–सुरेन्द्र ।
9–हरवीर । –पुत्रान नाहरसिंह
10–महावीर ।
11–भगवान देवी पत्नि सुगनसिंह
12–सिन्धी कप्तान सिंह ।
13–प्रधानसिंह ।– पुत्रान सुगन सिंह
14–नरेन्द्र सिंह ।
15–मूली पुत्र केरनसिंह
16–शेरसिंह पुत्र रामसरन

जाति जाट निवासीयान नगला सन्ता मजरा सोगर तहसील कुम्हेर

.....उत्तरवादीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश न्यायालय सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी भरतपुर दिनांक 8–11–1983, प्रकरण संख्या 2283/83 शीर्षक सुगनसिंह पुत्र रामसरन निवासी नगला जीवना तहसील कुम्हेर

उपस्थित :–
1–श्री महाराज सिंह डांगुर, अभिभाषक अपीलान्टस,

निर्णय **दिनांक 17.10.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तारीखी 8.11.1983 सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी, भरतपुर इस आश्य की पेश की गई है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण की खातेदारी के आराजी खसरा नम्बर

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

68/0.58, 69/0.53 ग्रांम घना भाडोर तहसील भरतपुर में से 32–32 ऐयर रकवा कम किया जाकर रेस्पो की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश सहायक भू– प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर द्वारा दिनांक 8.11.1983 को दिया गया है, उक्त अपीलाधीन आदेश को नियम विरुद्ध एवं तथ्य के विपरीत बताते हुये निरस्त किये जाने हेतु यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.8.2011 को पेश की गई है।

अपील Subject to limitation दर्ज की जाकर, रेस्पो की तलवी की गई तथा तहत पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार (भू.अ.) भरतपुर के पत्रांक एलआर/रिकार्ड/16/2023/7486 दिनांक 12.12.2024 से तहत पत्रावली की सत्य प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जो शामिल मिसिल की गई। रेस्पो. या उनके अभिभाषक बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं है। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट की इतरफा में बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये बताया कि अपीलार्थीगण आराजी खसरा नम्बर 68/0.58, 69/0.53 ग्रांम घना भाडोर तहसील भरतपुर के खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं में से 32–32 ऐयर रकवा कम किया जाकर रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश सहायक भू– प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर, भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार साविक आराजी खसरा नम्बर 76 मिन से निर्मित किया गया है जो अपीलार्थीगण की खातेदारी में रहा है। तहत न्यायालय ने मौके एवं नियमों के विपरीत प्रार्थी के आराजी खसरा नम्बर 68/0.58, 69/0.53 ग्रांम घना भांडोर तहसील भरतपुर में से 32–32 ऐयर रकवा कम किया जाकर रेस्पो. की खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है जो काबिल खारिज है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर या नोटिस वगे. नहीं दिया गया है, जबकि धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भी किसी व्यक्ति के नाम को हटाने या कोई अन्य शुद्विकरण करने से पूर्व सम्बन्धित प्रभावित पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक है। तहत न्यायालय ने केवल भू–मापक की रिपोर्ट लेकर बिना अपीलान्ट को सुने अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। योग्य अभिभाषक का म्याद के बिन्दू पर कहना है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 7.7.2011 को हल्का पटवारी के बतलाने पर व रेस्पो. द्वारा धमकी बेदखली दिये जाने पर हुई, तब जाकर अपीलाधीन आदेश की नकल लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया किया गया है। योग्य अभिभाषक ने अपने तर्कों के समर्थन में आर.बी.जे.(9)2002 पेज 309, उद्धरित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट के कथनों पर मनन किया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। पत्रावली में शामिल पत्रादि का अध्ययन किया गया । पत्रावली में

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेस्पो0 द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र धारा–5, म्याद अधिनियम जवाब प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र आपत्ति पेश किया हुआ है। प्रथमतः आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Limitation Act,1963 Section 5 : While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court, Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter. where there is a good case on merits, the rule is to condone the delay, as refusal may result in public mischief due to the unskilled management of delay in the process of filing an appeal, etc. The public at large would be sufferer. That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

तथा आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

प्रकरण पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 8–11–1983 का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है –

".....आज पत्रावली पेशी हुई। प्रार्थी हाजिर है। रिपोर्ट भूमापक का अवलोकन किया गया हाल ख.न. 68–69 से प्रार्थी के कमी रकवा की पूर्ति की जावे। तथा हिस्सा कायम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद आमल दरामद दाखिल दफ्तर हो.....।"

अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है कि ये आदेश प्रार्थी सुगनसिंह पुत्र रामसरन निवासी न0जीवना तहसील कुम्हेर ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 5.8.83 को अपना रकवा कमी पूर्ती किये जाने हेतु सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी कुम्हेर को पेश किया गया, जिस पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने भूमापक की रिपोर्ट ली जाकर भूमापक की रिपोर्ट के आधार पर यह अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश की अपील करीब 28 साल की देरी से पेश की गई है। अपीलान्ट का 28 साल बाद आकर यह कहना कि तहत न्यायालय ने रकवा कमी पूर्ती का आदेश गलत किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी हल्का पटवारी से दिनांक 7.7.11 को होना बताया गया है, अपीलान्ट द्वारा अपने मौखिक कथनों के समर्थन में हल्का पटवारी का कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपील देरी को माफ किये जाने का अपीलान्ट रिलीफ पाने का हकदार नहीं रहता है। प्रकरण रकवा कमी पूर्ती का है, इसके लिये विधि में पृथक से प्रावधान दिये गये हैं। अपीलान्ट को अपना रकवा कमी पूर्ती एवं अपने राईट्स तय कराने के लिये सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर